नगर परिषद्, बाड़मेर (राज.)

क्रमांक :एफ.8/भूमि (कच्ची बस्ती नियमन) 545

दिनांक : 26/11/12

नियमन अधिकार-पत्र

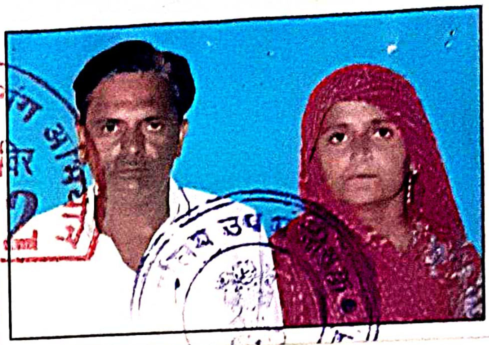

पत्रावली संख्या : 295/2012

श्री/~~श्रीमती~~ रामसिंह

पुत्र/~~पत्नी~~ श्री पुरसिंह

पूरा पता इन्द्रानगर

वार्ड नं. 40

(कच्ची बस्ती का नाम)

राज्य सरकार के आदेशानुसार बाड़मेर शहर के वार्ड संख्या 40 में मौहल्ला इन्द्रा नगर ... (कच्ची बस्ती का नाम) में 15.08.2009 से पूर्व के कब्जे के प्रमाण के आधार पर श्री/~~श्रीमती~~ रामसिंह S/o पुरसिंह का कब्जा साबित होने के कारण ———— वर्ग फीट 110 वर्ग गज क्षेत्रफल की राशि रूपये 3500/- एकमुश्त लीज राशि रूपये 240/- कुल राशि रूपये 3740/- जरिये रसीद संख्या 52864 दिनांक 23/11/12 के परिषद् कोष में जमा करवा दी गई है।

अतः श्री/~~श्रीमती~~ रामसिंह पुत्र/~~पत्नी~~ श्री पुरसिंह एवं (पुरुष आवंटी होने की दशा में पत्नी का नाम) श्रीमती रामकंवर को संयुक्त रूप से 110 वर्ग गज क्षेत्रफल, इस नियमन अधिकार-पत्र के पीछे साईट प्लान अंकित है, का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के निम्न शर्तो के आधार पर नियमन अधिकार-पत्र जारी किया जाता है।

शर्ते-

1. यह नियमन 99 वर्षीय पट्टाधारी के आधार पर अंतरिम रूप से इस शर्त पर किया जाता है कि अतिक्रमी अथवां उनके आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य के नाम बाड़मेर शहर एवं राजस्थान प्रदेश में किसी जगह पर भूखण्ड अथवा मकान नहीं है।
2. यह आवंटित भूखण्ड व उस पर निर्मित भवन किसी अन्य को बेचान/दान/हस्तांतरण कभी भी नहीं करने की शर्त लागू रहेगी। आवंटी की मृत्यु उपरांत उसका वैधानिक उत्तराधिकारी स्वतः ही आवंटी माना जाएगा तथा उसका पंजीयन कराया जाना आवश्यक है एवं वित्तीय संस्था से ऋण लेने या रहन रखने की स्वीकृति प्रदत्त रहेगी।
3. इस नियमन अधिकार-पत्र के साईट प्लान में अंकित भूखण्ड/मकान में किसी प्रकार का नया निर्माण करने से पूर्व नगर परिषद, बाड़मेर से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत करवाना आवश्यक होगा। यह अंतरिम आवंटन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन याचिका के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
4. यह नियमन/आवंटन मिथ्या तथ्यों के आधार पर गलत पाये जाने की दशा में उसे निरस्त करने का अधिकार नगर परिषद, बाड़मेर के पास सुरक्षित रहेगा एवं जनहित और स्थान परिवर्तन की अनिवार्यता की स्थिति में स्थल बदलने का अधिकार नगर परिषद, बाड़मेर को होगा।

उक्त शर्ते स्वीकार करता/करती हूं।

(हस्ताक्षर आवंटी)

कनिष्ठ अभियंता नगर परिषद, बाड़मेर कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका, बाड़मेर	आयुक्त नगर परिषद, बाड़मेर आयुक्त नगर परिषद, बाड़मेर	संभापति नगर परिषद, बाड़मेर सभापति नगर परिषद, बाड़मेर